[redacted]

माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्र.:————/14 अपील न्यास A· 3573-PBR/14

चौधरी रनजीत सिंह पुत्र स्व. श्री सरमन सिंह आयु–77 वर्ष, व्यवसाय–सामाजिक कार्य, निवासी–लाईन नं.4, क्वाटर नं. 177, बिरलनगर ग्वालियर — **अपीलार्थी**

श्री बी. डी. शर्मा अभि० द्वारा आज दि 27-10-14 को प्रस्तुत 27-10-14

विरूद्व

1–बिरलानगर जन सेवा न्यस, सूर्य मंदिर रोड़ ग्वालियर द्वारा प्रेसीडेन्ट ट्रस्टी श्री वासुदेव डालमिय पुत्र श्री मुन्नालल डालमिय आयु–71 वर्ष, निवासी–मुरार इन्क्लेव, गोल का मंदिर, ग्वालियर.

B.D. Sharma Adv. 27-10-14

2–बिरला इन्सटीट्यूट ऑफ मेडीकल रिसर्च ट्रस्ट सूर्य मंदिर रोड़ रेजीडेन्सी एरिया गोला का मंदिर, ग्वालियर द्वरा प्रेसीडेन्ट ट्रस्टी श्री वासुदेव डालमिय पुत्र श्री मुन्नलाल डालमिय आयु–71 वर्ष, निवासी–मुरार इन्क्लेव, गोला का मंदिर, ग्वालियर — **प्रति–अपीलार्थी**

अपील अन्तर्गत धारा–4(13) म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम–1951 विरूद्व आदेश दिनांकी–01.07.2009 जिसके द्वारा श्रीमान् लोक न्यास पंजीयक अधिकारी ग्वालियर (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक. –1/2008–09/बी–113(4) में बिरलानगर जन सेवा न्यास एवं बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल रिसर्च न्यास को एक साथ समायोजित किया गया है।

माननीय महोदय

अपीलार्थी की और से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3573–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के आदेश दिनांक 1–7–2009 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0 प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 9 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जबकि इस न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अंतर्गत केवल उपधारा 4 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। अतः इस प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को है । क्योंकि अपीलार्थी की ओर से जिस न्याय दृष्टांत 1983 राजस्व निर्णय 20 पर आधारित होकर उक्त तर्क प्रस्तुत किया गया	

माननीय महोदय

अपीलार्थी की और से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–